

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2009

का.आ. 999(अ).—जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्तराखण्ड सरकार के साथ परामर्श करके ऐसे पादपों और वन्यजीव प्रजातियों को अधिसूचित करती है, जो विलुप्ति के कगार पर हैं, जो कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में सूचीबद्ध उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में इस अधिसूचना के उपाबद्ध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके संग्रहण को प्रतिषेद्ध और विनियमित करती है, अर्थात्

सारणी

क्र०सं०	प्रजातियों के नाम
(1)	(2)
	पादप
1.	एकोनिटम बालफोरी स्टैप
2.	एकोनिटम हीट्रोफाइलम वाल एक्स रोयले
3.	एकोनिटम बायोलासियम, जैक, एक्स स्टैप
4.	एरीमोस्टाकिस सुपर्बा रोयले एक्स बैथ
5.	जेंटियानोइस कुरु (रोयले) ओमर, अली एंड क्वेजर (जेंटियाना कुरु रोयले)
6.	इडोपिटार्डेनिया आउटेंसिस (ब्रांडिस) ब्रेनान
7.	मीजोट्रोपिस पेल्लिटा (हुक.एफ. एक्स प्रेन) संजप्पा (ब्यूटिया पेल्लिटा हुक.एफ. एक्स प्रेन)
8.	नाडीस्टाकिस ग्रांडीफ्लोरा डी सी
9.	पिंगुइक्यूला अल्पाइना एल.
10.	ट्रेकीकार्पस टाकिल बेंक
11.	टर्पेनिया नेपालेंसिस
12.	स्क्रैबेरा स्वेइटीनॉयड्स
13.	साइथिया स्पाइन्यूलोसा
14.	पायस टेंकर बिल्ली
15.	पेक्टिलिस सुसाने
16.	डिप्लोमेरिस हीरुस्टा
	वन्यजीव
1.	मुरीना ग्रीसिया पीटर्स, 1872
2.	सर्वस इवायुसेल्ली (क्यूवियर, 1823)
3.	पेंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस लिनेइअस, 1758
4.	जिप्स बेंगालेंसिस (जिमेलिन, 1788)
5.	ओफ्रीसिया सुपरसिलिओसा (ग्रे, 1846)
6.	सर्कोजिप्स काल्वस (स्कोपोली, 1786)

7.	वेनेल्लस ग्रीगेरियस (पाल्लस, 1771)
8.	हाइना हाइना
9.	एंब्लोनिक्स सिनेरियस
10.	मोस्कस क्राइसोगास्टर
11.	उनसिया उनसियल
12.	युरसस एक्रटोस
13.	मेलुर्सस युर्सिनस
14.	ट्रेगोपान मेलानोसिफालस
15.	ट्रेगोपान सेटिरा

उपाबद्ध

शर्त
सं.

शर्तें

1. किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के सिवाय, ऊपर अधिसूचित पादप अथवा वन्यजीव प्रजातियों का जीवित अथवा मृत अवस्था में संग्रह नहीं किया जाएगा जब तक कि इस संबंध में संबंधित राज्य के जैवविविधता बोर्ड से अनुमोदन न लिया गया हो और यह भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) या सुसंगत राज्य के वन और वन्यजीव विधानों के उपबंधों के अनुरूप भी हो; अर्थात् :
 - (क) वैज्ञानिक अनुसंधान;
 - (ख) हरबेरियम और वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्थाओं का संग्रहालय;
 - (ग) प्रचार; और
 - (घ) कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण ।
2. संबंधित राज्य जैवविविधता बोर्ड निम्नलिखित आरम्भ और संचालन करेगा:-
 - (i) समग्र जानकारी के लिए, अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करना ।
 - (ii) स्वस्थाने और स्थान बाह्य संरक्षण और पुनःस्थापन के प्रयोजनार्थ, अधिसूचित प्रजातियों का प्रचार; और
 - (iii) जागरूकता कार्यक्रम चलाना और वन विभाग के कार्मिकों, जैवविविधता प्रबंधन समितियों, पर्यावरणीय पर्यटन कार्यक्रमों और वनवासियों तथा जनजातियों को अधिसूचित प्रजातियों के संबंध में शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना ।

[फा. सं. 28-12/2008-सी एस-III]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2009

S.O. 999(E).—In exercise of powers conferred by section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Government of Uttarakhand, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table given below, and prohibit and regulate the collection thereof, subject to the conditions specified in the Annexure to this notification, for the State of Uttarakhand, namely:—

TABLE

Sl.No. (1)	Name of the species (2)
	Plants
1.	<i>Aconitum balfourii</i> Stapf
2.	<i>Aconitum heterophyllum</i> Wall. ex Royle
3.	<i>Aconitum violaceum</i> Jacq. ex Stapf
4.	<i>Eremostachys superba</i> Royle ex Benth.
5.	<i>Gentianodes kurroo</i> (Royle) Omer, Ali & Qaiser [<i>Gentiana kurroo</i> Royle]
6.	<i>Indopiptadenia oudhensis</i> (Brandis) Brenan
7.	<i>Meizotropis pellita</i> (Hook.f. ex Prain) Sanjappa [= <i>Butea pellita</i> Hook.f. ex Prain]
8.	<i>Nardostachys grandiflora</i> DC.
9.	<i>Pinguicula alpina</i> L
10.	<i>Trachysarpus takil</i> Becc
11.	<i>Turpenia napalensis</i>
12.	<i>Schrebera sweitenoides</i>
13.	<i>Cythea spinulosa</i>
14.	<i>Phaius tankervillei</i>
15.	<i>Pectilis sussane</i>
16.	<i>Diplomeris hirsuta</i>
	Animals
1.	<i>Murina grisea</i> Peters, 1872
2.	<i>Cervus duvaucelii</i> (Cuvier, 1823)
3.	<i>Panthera tigris tigris</i> , Linnaeus, 1758
4.	<i>Gyps bengalensis</i> (Gmelin, 1788)
5.	<i>Ophrysia superciliosa</i> (Gray, 1846)
6.	<i>Sarcogyps calvus</i> (Scopoli, 1786)
7.	<i>Vanellus gregarius</i> (Pallas, 1771)

8.	<i>Hyaena hyaena</i>
9.	<i>Amblonyx cinereus</i>
10.	<i>Moschus chrysogaster</i>
11.	<i>Uncia uncia</i>
12.	<i>Ursus arctos</i>
13.	<i>Melursus ursinus</i>
14.	<i>Tragopan melanocephalus</i>
15.	<i>Tragopan satyra</i>

Annexure

Condition No.

Conditions

1. No plant or animal species as notified above shall be collected in live or dead condition by any person except, for purposes mentioned below, with the approval of the concerned State Biodiversity Board; and also in accordance with the provisions of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) and the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) or the relevant State forest and wildlife legislations, namely:-
 - (e) Scientific research;
 - (f) Herbarium and museum of scientific and academic institutions;
 - (g) Propagation; and
 - (h) Any other scientific investigation.

2. The concerned State Biodiversity Board shall initiate or conduct :-
 - (iv) studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;
 - (v) propagation of the notified species for the purpose of *in situ* and *ex situ* conservation and rehabilitation; and
 - (vi) awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28-12/2008-CS-III]
A. K. GOYAL, Jt. Secy.